कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर, म0प्र0

::–विनष्टीकृत रद्दी विक्रय हेतु निविदा ::–

क्रमांक 1749/2025 सीहोर, दिनांक 16.06.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/7133/2024 जबलपुर दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर, जिला सीहोर, म.प्र. की विनिष्टीकृत रद्दी को विक्रय बावत् सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जा रही है, इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपनी निविदाए सीलबंद कर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर में आवक जावक शाखा में दिनांक 12.07.2025 को शाम 04.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। निविदाएं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के नाम से प्रस्तुत किया जावे। नियत दिनांक एवं समय के पश्चात व्यक्तिगत अथवा किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। यदि निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि अथवा निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस पर निर्मित समिति द्वारा निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्ते एवं फार्म माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in तथा जिला न्यायालय सीहोर की वेबसाईट https://sehore.dcourts.gov.in पर उपलब्ध है जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है अथवा फर्म नजारत अनुभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर से कार्य दिवस में दौरान कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुभाग
जिला न्यायालय सीहोर, (म.प्र.)

OPEN TENDR PROFORMA FOR WASTE PAPER DISPOSL

1- Rate Quotation of the Tenderer ....

2- Earnest money Rs 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) of Bank Name ....Date............ /MPTC Receipt No. .... Date ....

3- PAN No. ....Enclose copy of current Income Tax Return.

4- GST No...................................Enclose copy of live registration. (If Registered)

5- Previous Experience of Govt. waste paper disposal. (Attech copy of order)

The terms and conditions of the tender dt............... are acceptable to me/us.

Signature ....

Name & address with Seal & Date ....

....

....

....

Phone(O)..

Fax..

(M)..

E-mail ....

कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर, म0प्र0

::–निविदा ::–

क्रमांक ..../2025 सीहोर, दिनांक ....

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/7133/2024 जबलपुर दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर, जिला सीहोर, म.प्र. की विनिष्टीकृत रद्दी को विक्रय करने के लिए इस कार्यालय के रिकार्डरूम की विनिष्टीकृत रद्दी के टुकडे कराकर विक्रय करने के लिए ई–निविदायें अंतिम तिथि दिनांक 12.07.2025 समय 04.00 बजे तक निर्धारित शर्तो के अधीन संलग्न निविदा फर्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता–श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर, जिला सीहोर, म.प्र. पिनकोड– 466001) से आमंत्रित किये जाते है।

1– कार्यालयीन समय में विनिष्टीकृत रद्दी के टुकड़े करके विक्रय हेतु इच्छुक फर्म (ई–निविदा संलग्न) निविदा प्रारूप रूपये Rs.3,000/- नगद जमा करके प्राप्त कर इसकी पूर्ति कर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (पता–श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर, जिला सीहोर, म.प्र. पिनकोड–466001) के माध्यम से दिनांक 12.07.2025 समय 04.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।

2– वर्तमान में विनिष्टीकृत रद्दी को मात्रा लगभग 10 से 15 क्विंटल है। निविदाकर्ता द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के अभिलेखागार कक्ष में उपस्थित होकर रद्दी का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन समय में कर सकते है।

3– निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर के नजारत अनुभाग, सीहोर में रूपये 20,000/– अर्नेस्ट मनी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर के नाम से नगद (नजारत अनुभाग) में अथवा बैंक डाफ्ट से जमा करनी होगी, प्राथमिकता वाले चयनित निविदाओं को छोड़कर शेष निविदाकाओं की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जावेंगी।

4– सफल निविदकार के द्वारा संपूर्ण राशि जमा कराने पर शेष (2) की राशि को वापस कर दी जावेगी।

5– सफल निविदाकर्ता को रद्दी उठाने से पहले अनुमानित राशि 80% राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा चालान के माध्यम से इस कार्यालय के नजारत अनुभाग, सीहोर में जमा करनी होगी।

6– इलेक्ट्रॉनिक तौल काटै की रसीद अनुसार शेष राशि तत्काल नगद में जमा करनी होगी।

7– दिनांक 12.07.2025 को शाम 5.00 बजे गठित समिति सीहोर के समक्ष सभी निविदायें खोली जावेगी, उस समय निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। समस्त निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि को आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, ताकि सभी निविदाये समक्ष में खोली जाकर अंतिम रूप से अधिकतम दर वाली समक्ष निविदाकार की निविदा स्वीकार करने की कार्यवाही की जावेंगी।

8– विभागीय गठित समिति द्वारा ई–निविदा में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता निविदायें चयनित कर उचित दर वाली सक्षम निविदाकारों की निविदा स्वीकार करने की अनुशंसा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर के अनुमोदन उपरांत माननीय प्रिसिंपल रजिस्ट्रार जबलपुर को प्रेषित की जावेगी तथा अनुमोदन उपरांत 30 कार्यदिवस में विनिष्टीकृत रद्दी क्रय कर न ले जाने पर प्रथम वरीयता प्राप्त निविदाकर को विनिष्टीकृत रद्दी क्रय कर ले जाने का अवसर प्रदान किया जावेगा। निविदा पर विचार करते

समय प्रस्तावित दर, पूर्व का कार्य अनुभग, निविदाकर्ता के कार्य स्थल व अन्य सभी परिस्थितियों पर विचार किया जावेगा।

9— विनिष्टीकृत रद्दी को कार्यालय समय में टुकड़े कर रद्दी प्राप्त कर समूची रद्दी के बोरे में भरकर इलेक्ट्रॉनिक तौल अनुसार देय विकय मूल जमा करने का तत्काल उत्तरदायित्व निविदाकर का होगा। विनिष्टीकृत रद्दी विकय होने व सम्पूर्ण राशि जमा पश्चात शेष द्वितीय एवं तृतीय वरीयता प्राप्त निविदाओं के निविदाकारों की अर्नेस्ट मनी वापिस की जावेगी।

10— स्वीकृत निविदाकार द्वारा निविदा की शर्तो का उल्लधंन करने पर अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसासत की जाकर कोषालय में जमा कर दी जावेगी।

11— प्रशासकीय कारणों से उक्त ई—निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

12— नियंत्रण अधिकारी श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर महोदय उक्त ई—निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होगे।

13— सफल निविदाकर द्वारा रद्दी उठाने के 07 दिवस में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त रद्दी को Recycle कर दिया है व इसका दुरूपयोग नहीं किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निविदाकर की अर्नेस्ट मनी वापस की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार अनुभाग
जिला न्यायालय सीहोर, (म.प्र.)